कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव (छ.ग.)

//निविदा सूचना//

राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले 06 विधानसभा क्षेत्रों के फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के कम्प्यूटरीकृत लेजर प्रिंटर से मुद्रण हेतु योग्य इच्छुक फर्मो से निविदाएं वर्ष 2018 एवं 2019 के लिए आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में रूपये–20,000/– मात्र नगद अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का रेखांकित ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पदनाम से हो। साथ निविदा स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से जो दिनांक 06.11.2017 को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक 06.11.2017 को समय 4:00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष निविदा खोली जायेगी।

कलेक्टर,
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.कमांक/1385/ई.एस./2017 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2017

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती खण्ड मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. संचालक, जनसम्पर्क विभाग, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, जन संपर्क विभाग/छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर को उपरोक्त विज्ञापन दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु अग्रेषित। कृपया प्रकाशन की प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय में शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
5. उप–संचालक, सूचना प्रकाशन एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया दैनिक समाचार पत्रों में समाचार के रूप में निःशुल्क प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
6. कैशियर जिला निर्वाचन कार्यालय, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर,
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
राजनांदगांव (छ.ग.)

फोटोयुक्त मतदाता सूची (फोटो रोल) के लेजर प्रिन्टर्स से डिजीटल प्रिंट हेतु निविदा प्रपत्र :– वर्ष 2018 एवं 2019 के लिएं

1. निविदाकार का नाम :–
2. फर्म का नाम :–
3. फर्म का पता :–
4. फर्म का टेलीफोन कमांक :–
   मोबाईल नम्बर :–
5. अमानत राशि 20,000/– रू. 20,000=00
   जमा करने का रसीद कमांक :–
   दिनांक :–
   बैंक ड्राफ्ट राशि :–
   ड्राफ्ट कमांक :–
   दिनांक :–
6. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र :–
   की स्व प्रमाणित प्रति (यदि कोई हो) :–
7. कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (5.00 लाख पेज का कम्प्यूटर लेजर प्रिंटिंग का कार्य अनुभव)
8. उपलब्ध साधन :– (1) कम्प्यूटर संख्या :–
9. ए–4 साईज 80 GSM कागज पर एक साईड निविदा दर :–
   दोनो साईड निविदा दर :–
   (2) हैवी लेजर प्रिंटर संख्या :–
   (3) हैवी डिजीटल प्रिंटर संख्या :–
   (4) ऑपरेटर संख्या :–
   (5) कर्मचारियों की संख्या :–
   (6) कार्य क्षमता प्रति घंटा :–
   (प्रति हैवी लेजर प्रिंटर)
   (7) विकय कर संख्या/वाणिज्यिक कर :–
   अदायगी संबंधी प्रमाण पत्र :–
   (8) वार्षिक टर्न ओव्हर संबंधी दस्तावेज :–
   (9) तकनीकी ज्ञान :–
10. फर्म का जी.एस.टी. नम्बर :–
11. ए–4 साईज 80 GSM कागज पर एक साईड निविदा दर :–
    दोनो साईड निविदा दर :–

हस्ताक्षर
निविदाकार का नाम :–
फर्म का नाम :–
पता :–
दूरभाष/मो.नं. :–

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव (छ.ग.)

//संक्षिप्त निविदा सूचना//

कमांक/ 1384 /ई.एस./2017 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2017

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ शास्त्री चौक पुराना मंत्रालय रायपुर का पत्र कमांक 01/03/निर्वा.नामा./पुन./2017–18 रायपुर, दिनांक 31.08.2017 के अनुसार दिनांक 01.01.2018 को अर्हता दिनांक मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2018 सम्पन्न कराया गया है।

उपर्युक्तानुसार सभी पूरकों को मदर रोल के साथ सघनताकार करते हुए एक ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाना है और प्रारूप प्रकाशन हेतु ड्राफ्ट रोल 11 प्रतियों में प्रिंट किया जाना है। दिनांक 23.10.2017 से 22.11.2017 तक प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण दिनांक 12.12.2017 तक किया जावेगा। तथा स्वीकृत दावे/आपत्तियों के आधार पर परिवर्धन, निरसन एवं संशोधन हेतु पूरक सूचियां तैयार की जावेगी। इन्हीं पूरक सूचियों को कम्प्यूटराईजेशन कार्य अर्थात् कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री कर कुल–11 प्रतियां जिसमें एक प्रति लेजर प्रिंट तथा लेजर प्रिंट की 10 फोटो प्रतियां तैयार करनी है।

अतः उपर्युक्त कार्यो के लिए निम्न शर्तो के अधीन सील बंद लिफाफे में निविदाऐं आमंत्रित की जाती है :–

1. फोटोयुक्त मतदाता सूची से संबंधित सील बंद लिफाफे में दिनांक 06.11.2017 के दोपहर 3:00 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में निविदा स्वीकार की जावेगी। उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 06.11.2017 के दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त सभी निविदाओं को उसी दिन समय 4:00 बजे शाम में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।
2. सील बंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों "फोटोयुक्त मतदाता सूची के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए एवं लिफाफे पर संबंधित फर्म का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए तथा उक्त निविदा को "कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी" राजनांदगांव (छ.ग.) को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी।

3. उक्त निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में रू. 20,000/– (रू. बीस हजार मात्र) के बैंक ड्राफ्ट जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.) को देय होगी। जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
4. निविदाकार द्वारा संलग्न पत्रक के अनुसार पृथक–पृथक कार्यो के लिए पृथक–पृथक दर अंको एवं शब्दों में सुस्पष्ट अक्षरों में दर्शाई जावें। किसी निविदाकारों की दरों में ओव्हर राईटिंग अथवा कांट–छांट पाई जाने पर उसकी निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
5. फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की पाण्डुलिपियों अथवा प्रारूप–06, 07, 08 एवं 08क में प्राप्त आवेदन–पत्रों के आधार पर जो डाटा एन्ट्री की जावेगी उसकी दो–दो प्रतियों में सी.डी. इस कार्यालय में जमा करनी होगी। उक्त सी.डी. का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा तथा अंतिम प्रकाशन हेतु एक प्रति में लेजर प्रिंट एवं 10 प्रतियों में फोटोयुक्त मतदाता सूची की छायाप्रति इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
6. सफल निविदाकार (चयनित वेण्डर) को न्यूनतम दर स्वीकृति आदेश के एक सप्ताह के भीतर रू. 100/– के गैर न्यायिक (स्टाम्प) पर जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव के साथ उपरोक्त कार्यो एवं शर्तों के लिए अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
7. अंतिम प्रकाशन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के मुद्रण के पूर्व चेक लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाना है, अर्थात् दिनांक 30.12.2017 तक त्रुटिरहित फोटोयक्त निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची मुद्रण की तैयारी किया जाना अनिवार्य है। अतः इस कार्य के लिए वेण्डर द्वारा प्रथम चेक लिस्ट इस कार्यालय को प्रदाय करने के बाद उसकी जांच इस कार्यालय द्वारा की जावेगी तथा जांच पर पाए गए त्रुटियों को सुधार करने हेतु वेण्डर को चेक लिस्ट वापस किया जावेगा जिसके आधार पर वेण्डर द्वारा सुधारोपरांत द्वितीय चेक लिस्ट वापस किया जावेगा जिसके आधार पर वेण्डर द्वारा सुधारोपरांत द्वितीय चेक लिस्ट मुद्रण कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा तथा द्वितीय चेक लिस्ट में भी जांच करने पर यदि पुनः त्रुटियां पाई जाती है तो फोटोयुक्त मतदाता सूची के शुद्धिकरण होने तक (त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार होने तक) वेण्डर को चेक लिस्ट मुद्रित कर प्रदाय करनी होगी। वेण्डरों द्वारा प्रदाय किये जाने वाले सभी चेक लिस्टों का पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। यह कार्य दिनांक 30.12.2017 तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

8. निविदाकार को अपने निविदा के साथ फर्म का पंजीयन, यदि कोई हो तो विवरण देवें, इसी प्रकार पूर्व के अनुभवों, उपलब्ध साधन जैसे कम्प्यूटर प्रिंटर, फोटो कॉपियर आदि के साथ–साथ आपरेटर्स की संख्या की जानकारी निविदा में दर्शाएंगे।

9. पूरक सूचियों का कम्प्यूटराईजेशन तथा मुद्रण आदि का कार्य राजनांदगांव मुख्यालय में ही अनिवार्य रूप से करना होगा। राजनांदगांव मुख्यालय के बाहर नामावली का मुद्रण कार्य स्वीकार नहीं किया जावेगा।

10. कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नामावली के पी.डी.एफ. निर्माण, डेटा एन्ट्री का कार्य, सघनता (एकीकरण) का कार्य, चेक लिस्ट, वर्किंग कापी, संशोधन, नामावली मुद्रण आदि कार्यो हेतु कार्यालय द्वारा निर्धारित किये गये समयावधि के भीतर चयनित वेण्डरों द्वारा पूर्ण किया जाकर स्वयं के व्यय पर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन विलम्ब के लिए रू. 1000/– (एक हजार मात्र) के हिसाब से शासन क्षतिपूर्ति के रूप में वेण्डर्स द्वारा प्रस्तुत देयक में कटौती की जावेगी तथा वेण्डर द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को भी राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

11. चयनित वेण्डरों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार तथा मतदान केन्द्रवार उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का मुद्रण कर पृथक–पृथक स्टेपल लगाकर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

12. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र तथा निर्धारित साफ्टवेयर में ही डाटा एन्ट्री एवं अन्य कार्य संपादित करना अनिवार्य होगा।

13. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्णाधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव को होगा। प्रतिकुल परिस्थितियां पाए जाने पर, स्वीकृत निविदाकार से कार्य वापस लेकर किसी अन्य सक्षम व्यक्ति/फर्म से कार्य कराने का पूर्णाधिकार भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव को होगा।

कलेक्टर,
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
राजनांदगांव (छ.ग.)
13/11/17